

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 05 सन 2020

अनवान :-

1. मगतूराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. केसरदेवी 2. सन्तोदेवी 3. रामेश्वरी 4. विधादेवी पुत्रीयान लालचन्द जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 123/121 की कुल 23.7880 हैक् भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी की माता पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज है।

वादी की माता पारी पत्नि लालचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही है जो पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी की बहने एवं मृतक पारी पत्नि लालचन्द पुत्रीया है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज है वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पारी पत्नि लालचन्द जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी की माता पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है पारी पत्नि लालचन्द के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि के वहिद के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो वादी की बहने एवं पारी पत्नि लालचन्द की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला जबाब दावा पेश किया गया। ईकबाल जबाब दावा शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 123/121 की कुल 23.7880 हैक् भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी की माता पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी की माता पारी पत्नि लालचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही है जो पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी की बहने एवं मृतक पारी पत्नि लालचन्द पुत्रीया है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज है वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 123/121 की कुल 23.7880 हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी की माता पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है वादी की माता पारी पत्नी लालचन्द का देहान्त हो चुका है पारी पत्नी लालचन्द के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो पारी पत्नी लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि को बहिब हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टी होती है। अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जायज हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 123/121 की कुल 23.7880 हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी की माता पारी पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मगतूराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. केसरदेवी 2. सन्तोदेवी 3. रामेश्वरी 4. विधादेवी पुत्रीयान लालचन्द जाति जाट
निवासी भगान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 05 सन 2020 निर्णय दिनांक- 17/8/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष
अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर
वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद
वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या
123/121 की कुल 23.7880 हेक्टेर भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी की माता पारी पत्नि लालचन्द के
नाम से दर्ज है का नाम कलमजुन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया
जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न
5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद
रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की
गई।



सत्यमेव जयते